02 02/26

पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप.।
प्रार्थी के वकील कि एक पक्षीय बहस
सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेजो का अध्ययन किया गया।
वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया
गया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग
से लिखा जाकर शामिल किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर :– 67 / 2025

दायर दिनांक :– 14.10.2025

निर्णय दिनांक :–02 /02/2026

उनवान

1. धर्मपाल पुत्र फूलचन्द जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील बहरोड़।

... वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब बहरोड़। ....प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. काश्त अधि.

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र सिंह आर्य अधिवक्ता वादी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि संवत 2074–2077 में खाता सं. 92 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील बहरोड मे हमारे खाते में प्रार्थी के पिता का नाम फूल चन्द पुत्र श्योनाथ ही अंकित है जो सही व सत्य है। संवत 2074–2077 में खाता सं0 58 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील बहरोड़ में हमारे खाते में मेरे पिता का नाम फूल चन्द पुत्र श्योनाथ के स्थान पर फुलिया पुत्र श्यौनाथ अंकित कर दिया जो गलत है। संवत 2074–2077 में खाता संख्या 108 वाके ग्रमा श्यामपुरा तहसील बहरोड में हमारे खाते में प्रार्थी के पिता का नाम फूल चन्द पुत्र श्योनाथ के स्थान पर फल चन्द पुत्र श्योनरायण अंकित कर दिया जो गलत है। प्रार्थी के पिता वास्तविक नाम रिकार्ड/दस्तावेजात में फूल चन्द पुत्र श्योनाथ है प्रार्थी के पिता के आधार कार्ड पैन कार्ड पुराना राशन कार्ड वोटर लिस्ट व सभी दस्तावेज में फूल चन्द पुत्र श्योनाथ अंकित है। जबकि मौहल्ले में बोलता नाम फूल चन्द पुत्र श्योनारायण एवं फुलिया पुत्र श्योनाथ के नाम से बुलाते है तथा उक्त आराजी में मिन प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना के नाम पुछताछ किये बिना मिन प्रार्थी को सुने ही प्रार्थी के पिता का नाम उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में फूल चन्द पुत्र श्योनाथ के स्थान पर फूल चन्द पुत्र श्योनारायण एवं फुलिया पुत्र श्यौनाथ बोलता नाम दर्ज कर दिया गया जो नाम राजस्व रिकार्ड में रिपीट होता चला आ रहा है। उक्त राजस्व रिकार्ड में मेरे पिता का नाम फुल चन्द पुत्र श्योनाथ के स्थान पर फुलिया पुत्र श्योनाथ एवं फूल चन्द पुत्र श्योनारायण का अंकन होन के कारण गलत अंकन के कारण प्रार्थी/ प्रार्थी के परिवार को उनके वैधानिक अधिकारों व सरकारी योजनाओं का लाथ प्राप्त करने में आधा उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी के सभी कानूनी हक व अधिकार जायल हो रहे है। अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य मे आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के संवत 2074–2077 में खाता सं. 58 व 108 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील बहरोड मे प्रार्थी के पिता का नाम फुलिया पुत्र श्यौनाथ एवं फूलचन्द पुत्र श्योनारायण के स्थान पर फूल चन्द पुत्र श्योनाथ आधार कार्ड व अन्रू दस्तावेजात के आधार पर शुद्व किया जावे व इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात व गिरदावरीजात में अंकन करने के आदेश फरमाया जाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को द्वारा नोटिस तलब किया गया। पैरोकार नायब तहसीलदार बहरोड ने जवाब पेश किया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयं सिद्व करे बावत अंकित किया है।

प्रार्थी के वकील की बहस सुनी तथा बहस प्रार्थी पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 106 में प्रार्थी प्रार्थी के पिता का नाम फूलचन्द पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार एवं जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 68 में फूलिया पुत्र श्योनाथ हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 92 के खसरा नम्बर फूलचन्द पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/2 जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के आधार कार्ड ,मतदाता पहचान पत्र एवं परिवार राशन कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम फूलचन्द पुत्र श्योनाथ दर्ज है। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के प्रार्थी के पिता का नाम जमाबन्दी के खाता संख्या 68,106 में फूलिया पुत्र श्योनाथ तथा फूलचन्द पुत्र श्योनारायण की जगह फूलचन्द पुत्र श्योनाथ दर्ज किये जाने कि अभिषंशा की गई है। जमाबन्दी संवत 2074–2077 के सह खातेदार श्रीराम पुत्र टोडिया जाति माली निवासी श्यामपुरा ग़ैती के द्वारा उपरोक्त संशोधन किये जाने बावत् अपना शपथ पत्र पेश किया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः आदेश है कि ग्राम श्यामपुरा तहसील बहरोड कि जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 68, दर्ज फूलिया पुत्र श्योनाथ एवं खाता संख्या 106 में दर्ज फूल चन्द पुत्र श्योनारायण के स्थान पर फूलचन्द पुत्र श्योनाथ दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर राजस्व भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम बनाम तहसीलदार बहरोड को वास्ते संशोधन जारी किया जावे।

आज दिनांक 02/01/26 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)